

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज / सामान्य / 2018 / 885

दिनांक : 21 सितम्बर, 2018

आदेश

निम्नलिखित नर्स श्रेणी द्वितीय के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	सुर्यप्रकाश सोलंकी	प्रा.स्वा.केन्द्र, बायं, चुरु	जिला चिकित्सालय, चुरु	रिक्त पद पर
2	पंकज सैनी	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जिला चिकित्सालय, चुरु	रिक्त पद पर
3	राजेश कुमार जाखड	जिला चिकित्सालय, चुरु	सा.स्वा.केन्द्र, फतेहपुर, सीकर	भवंर लाल झाझरा के स्थान पर
4	भवंर लाल झाझरा	सा.स्वा.केन्द्र, फतेहपुर, सीकर	जिला चिकित्सालय, चुरु	राजेश कुमार जाखड के स्थान पर
5	वसुन्धरा सिहाग	प्रा.स्वा.केन्द्र, झारिया, चुरु	सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर, चुरु	संजय गजराज के स्थान पर
6	मंजू धारीवाल	प्रा.स्वा.केन्द्र, कोटवादताल, चुरु	मेडिकल कॉलेज, चुरु	रिक्त पद पर
7	जुगलकिशोर	प.दीनदयाल चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	जिला चिकित्सालय, चुरु	रिक्त पद पर
8	हुक्मा देवी	सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर से सा.स्वा.केन्द्र, तारानगर, स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर, चुरु	रिक्त पद पर
9	संगीता मेहरा	सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर, चुरु से सामा.चिकि., रतनगढ, चुरु स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर, चुरु	रिक्त पद पर
10	मनेष कुमारी	सा.स्वा.केन्द्र, रतननगर, चुरु से सा.स्वा.केन्द्र, सालासर, स्थानान्तरणाधीन	जिला चिकित्सालय, चुरु	रिक्त पद पर
11	विक्रम सिंह	प्रा.स्वा.केन्द्र, मेहरी राजवियान, सरदार शहर, चुरु	झुंझुनू/चुरु में कही भी रिक्त पद पर।	रिक्त पद पर
12	आरिफ खान	जे.एल.मेडिकल कॉलेज, अजमेर	सा.स्वा.केन्द्र, बिसाउ, झुंझुनू	रिक्त पद पर
13	मोहन लाल तंवर	प्रा.स्वा.केन्द्र, जसरासर, चुरु से सामा.चिकि., रतनगढ, चुरु स्थानान्तरणाधीन	मु.चि.एवं स्वा.अ., रतनगढ, चुरु के अधीन	रिक्त पद पर

- सविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- कैंसर केयर कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- यदि कोई कार्मिक नर्स श्रेणी द्वितीय से नर्स श्रेणी प्रथम के पद पर पदोन्नत हो गये हैं, तो उन कार्मिकों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
- मा.न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जावे।
- कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।

6. ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावें। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
7. यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं हैं, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
8. रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
9. अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की कियान्विति नहीं होगी।
10. उक्त आदेश हेतु ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर की सहमति प्राप्त है।
उपरोक्त शर्तों (1 से 9) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

— ३७ —

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/885

दिनांक : 21 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
7. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
9. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग।
10. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
12. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
13. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
14. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
15. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर